

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-54/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० निखत जहाँ, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुजफ्फरगंज, हवेली खडगपुर, मुंगेर को प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक 01.05.2024 से 27.10.2024 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-54/2025- 684(2) पटना, दिनांक 2/5 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हवेली खडगपुर, मुंगेर/डा० निखत जहाँ, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुजफ्फरगंज, हवेली खडगपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव